116

संख्याः– /XIV–1/2012–5(7)/2012

प्रेषक,

आर0सी0पाठक,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियां,
उत्तराखण्ड।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग–1 देहरादून, दिनांक 16 अप्रैल, 2012

विषयः– वित्तीय वर्ष 2012–13 में सहकारिता विभाग के सहकारिता न्यायाधिकरण की लेखानुदानावधि में आयोजनेत्तर पक्ष की विभिन्न मदों हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या–29/लेखा–बजट/2012–13 दिनांक 30 मार्च, 2012, वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने विषयक वित्त विभाग के आदेश संख्याः–193/XXVII (1)/2012 दिनांक 30 मार्च, 2012 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2012–13 में लेखानुदानावधि में दि0 1 अप्रैल, 2012 से 31 जुलाई, 2012 तक चार माह के लिए सहकारिता विभाग के अर्न्तगत सहकारिता न्यायाधिकरण के आयोजनेत्तर पक्ष की प्रस्तर–2 में उल्लिखित विभिन्न मदों में कुल धनराशि **₹ 17,80,000/- (रूपये सत्रह लाख अस्सी हजार मात्र)** की निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत व्यय हेतु निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।
2. व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
3. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रकिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह मे 5 तारीख तक बी0एम0–5 प्रपत्रपर आहरण एवं वितरण अधिकारी ठीक पूर्व माह की सूचना विभागाध्यक्ष को तथा बी0एम0 13 प्रपत्र पर 20 तारीख तक विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग एवं शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय तथा बजट मैनुअल के विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम् से शासन तथा महालेखाकार कार्यालय को समय से सूचना भेजा जाना सुनिश्चित किया जाय।
4. स्वीकृत धनराशि निर्धारित मद में ही व्यय की जायेगी एवं व्यय करते समय वित्त विभाग के मितव्ययता सम्बन्धी समय–समय पर जारी शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
5. उक्त वित्तीय स्वीकृति के व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी और यदि किसी मामले में सीमाधिक व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल वित्त विभाग एवं शासन के संज्ञान में लाया जाय।
6. वचनबद्ध तथा अवचनबद्ध मदों के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 30 मार्च, 2012 में उल्लिखित समस्त शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
7. आहरण वितरण अधिकारी अपने स्तर से फॉट कर फिल्ड स्तर पर बजट उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करेंगे तथा सम्भावित व्यय की फेजिंग कर उसकी सूचना शासन तथा वित्त विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

क्रमशः

2– उक्त स्वीकृति के अधीन व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के अनुदान संख्या–18 के लेखाशीर्षक 2425–सहकारिता आयोजनेत्तर, 001–निदेशन तथा प्रशासन, 05–सहकारिता न्यायधिकरण की निम्नलिखित सुसंगत प्राथमिक इकाईयो के नामे डाला जायेगा:–

मानक मद व मद का नाम	धनराशि (हजार रू0 में)
01– वेतन	667
02– मजदूरी	17
03– महंगाई भत्ता	453
04– यात्रा व्यय	3
05– स्थानान्तरण यात्रा व्यय	3
06– अन्य भत्ते	167
08– कार्यालय व्यय	17
09– विद्युत देय	7
10– जलकर/जलप्रभार	3
11– लेखन सामाग्री व फार्मों की छपाई	3
12– कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	17
13– टेलीफोन पर व्यय	17
15– गाड़ियो का अनुरक्षण और पैट्रोल आदि की खरीद	27
16– व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	117
17– किराया, उपशुल्क और कर–स्वामित्व	83
22– आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आदि	5
27– चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	67
45– अवकाश यात्रा व्यय	33
46– कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर का कय	67
47– कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का कय	7
योग	1780

(रू0 सत्रह लाख अस्सी हजार मात्र)

3:– ये आदेश वित्त विभाग के आदेश संख्या:–193/XXVII (1)/2012 दिनांक 30 मार्च, 2012 के कम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0सी0पाठक)
सचिव।

कमशः

संख्याः–607(1)/XIV–1/2012, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
3. अपर निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।
4. जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा/देहरादून, उत्तराखण्ड।
5. मा0 अध्यक्ष, सहकारिता न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. प्रभारी मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. गार्ड पत्रावली हेतु।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र पालीवाल)
उपसचिव।